रत की र जप The Gazette of India

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—वपखण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

₹ 171]

मई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 1996/वैशाख 30, 1918 NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 1996/VAISAKHA 30, 1918

No. 171]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 1996

सा. का. नि. 221(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के राजस्य विभाग के सचिव को विशेष रूप से सशक्त करती हैं।

[फा. सं. 820/8/96-पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस.]

आर. के. गुप्तन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 20th May, 1996

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers the Secretary, Department of Revenue, Government of India for the purpose of the said Section,

[F. No. 820/8/96-PITNDPS]

R. K. GUPTAN, Under Secy.

1217 QI/96